न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सागर (म0प्र0)
(समक्ष–श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)

Registration No. RCT/265/2018
Filing No.-1484/2018
CNR-MP1501-001771-2018
Filing Date- 18-07-2016

थाना क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राईक फोर्स सागर, पी0ओ0आर0 क्रमांक 4938/07

परिवादी	**मध्यप्रदेश राज्य**, द्वारा प्रभारी अधिकारी, **क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राईक फोर्स सागर** जिला–सागर (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री बृजेश दीक्षित, अतिरिक्त लोक अभियोजक
अभियुक्त	**1. होरीलाल आदिवासी पुत्र फकीरलाल आदिवासी उम्र** वर्ष **(फरार)** निवासी– मेहगांव भिण्ड स्थाई निवासी–फार्रूखाबाद **2. रोहित आदिवासी पुत्र होरीलाल आदिवासी (फरार)** निवासी– मेहगांव भिण्ड (म0प्र0) **3. राजमल सहरिया पुत्र पतुआ सहरिया उम्र 30 वर्ष** निवासी– मनियार, शिवपुरी म0प्र0 **4. करन सिंह पुत्र सुदामालाल कंजर उम्र 40 वर्ष** निवासी–चिंता का नगरा अछलदा जिला औरैया (उ0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियुक्त करन, राजमल द्वारा श्री राजेश सिंह ठाकुर अधिवक्ता।

प्रारूप ड

अपराध की तारीख	24.05.2016
प्र.सू.रि.की तारीख	24.05.2016
आरोप पत्र/परिवाद पत्र की तारीख	18.07.2016
आरोपों के विरचना की तारीख	27.03.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	27.04.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	21.09.2023
निर्णय की तारीख	21.09.2023

Continued….2

दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	21.09.2023

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दंप्रसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**राजमल सहरिया पुत्र पतुआ सहरिया**	27.05.2016	28.07.2016	वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधन 2003) की धारा 9,39,44,48,48 (ए), 49, 49 (बी), 52	दोषसिद्धि	03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदंड	02 माह 02 दिन
2.	**करन सिंह पुत्र सुदामालाल कंजर**	22.12.2017	26.12.2017	वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधन 2003) की धारा 9,39,44,48,48 (ए), 49, 49 (बी), 52	दोषमुक्त		04 दिन

प्रारूप च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अ.सा.1	श्रृद्धा पंद्रे	टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर साक्षी
अ.सा.2	महिपाल सिंह राजपूत	टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर साक्षी
अ.सा.3	जी0के0 चंद	टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर साक्षी
अ.सा.4	राहुल विश्वकर्मा	टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर साक्षी
अ.सा.5	वीरन सिंह राजपूत	टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर साक्षी
अ.सा.6	वीरसिंह जाट	टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर साक्षी
अ.सा.7	जगदीश प्रसाद राठौर	टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर साक्षी
अ.सा.8	रामरूप सिंह परिहार	टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर साक्षी

Continued….3

अ.सा.9	ए0के0 श्रीवास्तव	टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
ब.सा.1	निरंक	निरंक
ब.सा.2	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
न्या.सा.1	निरंक	निरंक
न्या.सा.2	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क– अभियोजन

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1/ अ.सा.1	साक्षी भरत भूषण भार्गव का कथन
2.	प्रदर्श पी 2/अ.सा.1	मौका पंचनामा दिनांक 21.12.2017
3.	प्रदर्श पी 3/ अ.सा.1	पंचनामा सीलबंद दिनांक 22.12.2017
4.	प्रदर्श पी 4/ अ.सा.1	गिरफतारी सूचना पंचनामा दिनांक 21.12.2017
5.	प्रदर्श पी 5/ अ.सा.1	अभियुक्त करन की गिरफतारी सूचना पत्रक
6.	प्रदर्श पी 6/ अ.सा.1	अभियुक्त करन सिंह का बयान
7.	प्रदर्श पी 7/ अ.सा.1	साक्षी राहुल विश्वकर्मा का कथन
8.	प्रदर्श पी 8/ अ.सा.1	साक्षी महिपाल सिंह का कथन
9.	प्रदर्श पी 9/ अ.सा.1	साक्षी वीर सिंह जाट का कथन
10.	प्रदर्श पी 10/ अ.सा.1	साक्षी महिपाल सिंह राजपूत का कथन
11.	प्रदर्श पी 11/ अ.सा.1	अभियुक्त करन द्वारा अभियुक्त छविराम की फोटो शिनाख्ती
12.	प्रदर्श पी 12/ अ.सा.1	अभियुक्त करन द्वारा अभियुक्त रामसिंह की फोटो शिनाख्ती
13.	प्रदर्श पी 13/ अ.सा.1	अभियुक्त करन द्वारा शैलेन्द्र सिंह की फोटो शिनाख्ती
14.	प्रदर्श पी 14/ अ.सा.1	अभियुक्त करन द्वारा पेंगोलिन के खपटे की फोटो शिनाख्ती
15.	प्रदर्श पी 15/ अ.सा.1	अभियुक्त करन द्वारा लाल तिलकधारी कछुओं की फोटो शिनाख्ती
16.	प्रदर्श पी 16/ अ.सा.1	अभियुक्त करन द्वारा सुंदरी कछुआ की फोटो शिनाख्ती

Continued…4

17.	प्रदर्श पी 17 / अ.सा.1	कार्यालय टीएसएफ सागर का पत्र क0 1664 दिनांक 23.12.2017
18.	प्रदर्श पी 18 / अ.सा.2	अभियुक्त करन का गिरफतारी पंचनामा
19.	प्रदर्श पी 18ए / अ.सा.3	नजरी नक्शा
20.	प्रदर्श पी 19 / अ.सा.3	अभियुक्त होरीलाल के बयान
21.	प्रदर्श पी 20 / अ.सा.3	अभियुक्त संजय के बयान
22.	प्रदर्श पी 21 / अ.सा.3	अभियुक्त रोहित के बयान
23.	प्रदर्श पी 22 / अ.सा.3	साक्षी जगदीश प्रसाद राठौर के कथन
24.	प्रदर्श पी 23 / अ.सा.3	साक्षी रामरूप सिंह परिहार के कथन
25.	प्रदर्श पी 24 / अ.सा.3	साक्षी भारत भूषण भार्गव के कथन
26.	प्रदर्श पी 25 / अ.सा.3	साक्षी नितिन पाल के कथन
27.	प्रदर्श पी 26 / अ.सा.3	साक्षी पंकज सुमन के कथन
28.	प्रदर्श पी 27 / अ.सा.3	साक्षी भंवर सिंह के कथन
29.	प्रदर्श पी 28 / अ.सा.3	साक्षी आनंद श्रीवास्तव के कथन
30.	प्रदर्श पी 29 / अ.सा.3	साक्षी भारत भूषण भार्गव के कथन
31.	प्रदर्श पी 30 / अ.सा.4	जप्तीनामा (अभियुक्त करन से पेंगोलिन स्केल्स का)
32.	प्रदर्श पी 31 / अ.सा.4	नजरी नक्शा
33.	प्रदर्श पी 32 / अ.सा.7	पंचनामा दिनांक 24.05.2016
34.	प्रदर्श पी 33 / अ.सा.7	पीओआर क0 4938 / 07
35.	प्रदर्श पी 34 / अ.सा.7	जप्तीनामा (अभियुक्त होरीलाल, संजय, रोहित से)
36.	प्रदर्श पी 35 / अ.सा.7	निरंक
37.	प्रदर्श पी 36 / अ.सा.7	अभियुक्त होरीलाल का गिरफतारी पंचनामा
38.	प्रदर्श पी 37 / अ.सा.7	अभियुक्त संजय का गिरफतारी पंचनामा
39.	प्रदर्श पी 38 / अ.सा.7	अभियुक्त रोहित का गिरफतारी पंचनामा
40.	प्रदर्श पी 39 / अ.सा.7	पंचनामा दिनांक 27.05.2016
41.	प्रदर्श पी 40 / अ.सा.7	जप्तीनामा (अभियुक्त राजमल से)
42.	प्रदर्श पी 41 / अ.सा.7	अभियुक्त राजमल का गिरफतारी पंचनामा
43.	प्रदर्श पी 42 / अ.सा.7	अभियुक्त राजमल की गिरफतारी की सूचना
44.	प्रदर्श पी 43 / अ.सा.9	नजरीय नक्शा
45.	प्रदर्श पी 44 / अ.सा.9	अभियुक्त राजमल के बयान

ख– प्रतिरक्षा

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.		

Continued….5

2.		–

ग– न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श सी 1/न्या.सा.	–
2.	प्रदर्श सी 2/न्या.सा.	–

घ– आवश्यक वस्तुयें

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.		–
2.		–

(नि र्ण य)

(आज दिनांक 21–सितम्बर–2023 को घोषित)

01. आरोपी करन एवं राजमल के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम (संशोधन 2003) 1972 की धारा 9, 39, 44, 48, 48(ए),49, 49(बी) एवं 52 के उल्लंघन में अपराध कारित कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधन 2003) की धारा 51 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप हैं कि आरोपीगण ने अभिरक्षा में लिये जाने के पूर्व के वर्षों में, अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में, ग्वालियर वनपरिक्षेत्र में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्त प्राय वन्यप्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) (जिसे आगे के पदों में कछुआ लिखा जायेगा) एवं पेंगोलिन के शल्क का अवैध रूप से शिकार एवं अवैध व्यापार किया।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय है कि अभियुक्त **संजय एवं छविराम** के **फौत** हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही उपसमित की गई है तथा अभियुक्त **होरीलाल एवं रोहित फरार** हैं जिससे उनके विरूद्ध स्थाई गिरफतारी वारंट जारी

Continued….6

किया गया है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.05.2016 को वनमंडल अधिकारी ग्वालियर द्वारा घटित वन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई और मुखबिर की सूचना के अनुसार सेंट्ल स्कूल के पास भिण्ड रोड महाराजपुरा एयरपोर्ट के आगे पहुंचे, शाम को लगभग 06:40 बजे एक मोटरसाईकिल पर तीन लोग सवार होकर आते दिखाई दिये जिन्हें टीम के सदस्यों द्वारा रोका गया उन्होंने अपना नाम रोहित, होरीलाल तथा संजय बताया। उनके पास विलुप्त प्राय वन्यप्राणी पेंगोलिन के खपटे लगभग तीन किलो पाये गये। अभियुक्तगण के विरूद्ध पीओर क्रमांक 4938/07 दिनांक 24.05.2016 जारी किया गया।

04. अभियोजन का यह भी पक्ष है कि अभियुक्त संजय ने प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त राजमल के बारे में बताया कि वह वन्यप्राणियों का शिकार करता है तथा अभियुक्त संजय की निशादेही पर ही दिनांक 27.05.2016 को वन परिक्षेत्र अधिकारी ग्वालियर द्वारा गठित दल वन परिक्षेत्र शिवपुरी के मनियर पहुंचा जहां पर अभियुक्त राजमल दल को देखकर भागने लगा जिसे दल के सदस्यों द्वारा पकड़ा गया तथा उसके साथ उसके मकान की तलाशी ली गई जहां उसके मकान में दीवार की अलमारी में एक पॉलिथीन में लगभग 200 ग्राम पेंगोलिन के खपटे पाये गये एवं एक पैकेट में लगभग 10 ग्राम नेवले के बाल रखे पाये गये जिसके संबंध में मौका पंचनामा प्रपी 39 अभियुक्त राजमल एवं साक्षीगण के समक्ष तैयार किया गया। मौके पर ही अभियुक्त राजमल से पेंगोलिन के खपटे लगभग 200 ग्राम, नेवले के बाल लगभग 10 ग्राम जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी 40 तैयार किया गया। अभियुक्त राजमल के कथन लिये गये। प्रकरण में उपरोक्त वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4938/07 दिनांक 24.05.2016 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक ने अपने आदेश

Continued….7

दिनांक 23.12.16 में उक्त प्रकरण की गंभीरता एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अग्रिम विवेचना हेतु क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राइक फोर्स सागर को ट्रांसफर किया गया।

05. अभियोजन का यह भी पक्ष है कि सहअभियुक्त छविराम के कथनों के आधार पर अभियुक्त करन के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा गिरफतारी वारंट क्रमांक 6912/01 जारी किया गया, गिरफतारी वारंट के आधार पर दिनांक 21.12.2017 को प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के हमराह रहकर टीएसएफ सागर की टीम के द्वारा अभियुक्त करन पुत्र सुदामालाल निवासी अछलदा की तलाशी की जा रही थी, तलाश के दौरान अभियुक्त करन, नहर बाजार में चौराहा पर मिला जिसका नाम पूछने पर करन पुत्र सुदामालाल बताया तब अभियुक्त करन को टीएसएफ सागर टीम के द्वारा अभिरक्षा में लेकर उसकी तलाशी की गई तलाशी के दौरान अभियुक्त करन से एक पॉलिथीन में पेंगोलिन के खपटे बरामद हुये जिसे टीम के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा से मापा गया, मापने पर पेंगोलिन के खपटे 250 ग्राम पाये गये जिसे मौके पर जप्ती की कार्यवाही कर मौका पंचनामा बनाया गया तथा अभियुक्त को गिरफतार किया गया।

06. अभियोजन का यह भी पक्ष है कि अभियुक्त करन ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (16–20), 9,39,44,48,49,50,51,57 जो कि अनुसूची–1 के भाग–1 में अनुक्रमांक 28 IUCN Red List A3d+4d के दुर्लभ वन्यप्राणी पेंगोलिन (Manis Crassicaudata) के शल्क एवं अनुसूची–1 में भाग–2 अनुक्रमांक 14बी के विलुप्त प्रजाति लालतिलकधारी कछुआ के लिये अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार का गंभीर अपराध किया गया है।

07. अभियुक्त राजमल एवं करन के विरूद्ध निर्णय की कंडिका–1 में

Continued…8

वर्णित धाराओं के आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 दं.प्र.सं. के कथनों में अभियोजन मामले को नकारते हुये स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है, उन्हें बचाव में प्रविष्ट कराये जाने पर उन्होंने बचाव में साक्ष्य देना तो व्यक्त किया है किन्तु बाद के प्रक्रम में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गई है।

08. अतः प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

1.	क्या आरोपी राजमल एवं करन ने उन्हें अभिरक्षा में लिये जाने के पूर्व के वर्षों में, अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में, ग्वालियर वनपरिक्षेत्र में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्त प्राय वन्यप्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) एवं पेंगोलिन के शल्क का अवैध रूप से शिकार एवं अवैध व्यापार किया?

सकारण निष्कर्ष

09. अभियोजन की ओर से साक्षी श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.1), महिपाल सिंह राजपूत (अ.सा.2), जी0के0 चंद (अ.सा.3), राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.4), वीरन सिंह राजपूत (अ.सा.5), वीर सिंह जाट (अ.सा.6), जगदीश प्रसाद राठौर (अ.सा.7), रामरूप सिंह परिहार (अ.सा.8), ए0के0 श्रीवास्तव (अ.सा.9) को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, तथा उक्त साक्षीगण ने प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–44 के दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया है, जबकि बचाव पक्ष की ओर से

Continued….9

किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्षः–

10. उपरोक्त प्रस्तुत अभियोजन मामला अनुसार विरचित आरोप के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित है कि अभियोजन द्वारा वर्तमान मामला आरोपीगण के विरूद्ध किसी एक विशिष्ट दिनांक अथवा एक विशिष्ट स्थान पर हुये किसी एक घटना के संबंध में प्रस्तुत न किया जाकर आरोपीगण के द्वारा वन्य जीवों विशेषकर पेंगोलिन के शल्क एवं लाल तिलकधारी कछुये, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची– I में क्रमशः भाग–1 की कंडिका–28 एवं भाग–2 की कंडिका–14बी में आते हैं, के संबंध में, एक लंबी कालावधि तक, लगातार किये जाते रहने वाले कथित अवैध व्यापार एवं अवैध रूप से शिकार के अपराध के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, और इस कारण तत्संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना को, उक्त संदर्भ में ही किया जाना उचित होगा। उक्त संबंध में यह आवश्यक है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में उपबंधित उन विशिष्ट प्रावधानों का अवलोकन कर लिया जाये, जो वर्तमान प्रकरण से सुसंगत हैं और जिन्हें अपराध की विशेष प्रकृति के आधार पर विधायिका ने अधिनियम में समर्थकारी उपबंधों के रूप में विशिष्ट रूप से उपबंधित किया है।

11. उल्लेखनीय है कि किसी भी अपराध की न्यायपूर्ण विवेचना के लिए यह आवश्यक है कि उक्त प्रकरण की अनुसंधान कार्यवाही तथा अभियोग पत्र प्रस्तुति सक्षम प्राधिकारी के द्वारा संपादित की जाये, परिवाद प्रस्तुति की अधिकारिता के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 विशिष्टतः यह प्रावधानित करती है कि :–

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरूद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा–

Continued….10

(ए) वन्य जीव संरक्षण निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

(बी) मुख्य वन्य जीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के साथ जो विनिर्दिष्ट की जाये इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,

उक्त संबंध में यह भी अवलोकनीय है कि अधिनियम की उक्त धारा 55 के पालन में राज्य शासन द्वारा म.प्र. नियम 1974 बनाये गये जिसके नियम 55 के अनुसार अधिनियम की धारा 55 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को वन्य जीव संबंधी प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता प्रदान की गयी है –

(ए) चीफ वाइल्ड लाईफ वार्डन

(बी) वाइल्ड लाईफ वार्डन

(सी) फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर

उल्लेखनीय है कि परिवाद प्रस्तुति की अधिकारिता के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्य प्रदेश का आदेश क्रमांक 189 भोपाल दिनांक 22.08.2006 भी अवलोकनीय है, जिसमें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5 1⁄421⁄2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन विभिन्न अधिकारियों को परिशिष्ट 1 के अनुसार कर दिया गया है और जिसमें उप वन मंडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 50 (48) तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी को अधिनियम की धारा 55 के दायित्व और शक्तियों का निर्वाह करने हेतु प्रत्यायोजन किया गया है।

12. इसी प्रकार अभियुक्त की संस्वीकृति के संबंध में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 50 (48) (डी) एवं धारा 50 (49) में यह उपबंधित किया गया है कि –

Continued….11

धारा –50 प्रवेश, तलाशी, गिरफतारी और निरूद्ध करने की शक्ति –

8.तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जो सहायक वनपाल की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधि0 के किसी उपबंध के विरूद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(डी) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित कराना।

9. उपधारा (48) के खंड (डी) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य किसी मजिस्टेट के समक्ष किसी पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परंतु यह तब जबकि उसे अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो।

13. इसी प्रकार दण्ड के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 यह उपबंध करती है कि–

1–कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान (अध्याय–5 क और धारा 38 ञ को छोड़कर) या अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या जो इस अधिनियम के अधीन दी गई, किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र की शर्तों में से किसी का भंग करेगा, वह इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा, परंतु यदि किया गया अपराध अनुसूची–1 में या अनुसूची–2 के भाग–2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या किसी ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी वस्तु, टॉफी,

Continued….12

असंसाधित टॉफी के संबंध में है, या अपराध किसी अभ्यारण्य या मजिस्टेंट उपवन में आखेट से संबंधित या किसी अभ्यारण्य या मजिस्टेंट उपवन की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है, तो ऐसा अपराध, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(–क) कोई व्यक्ति जो अध्याय 5–क (कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न टॉफी, प्राणी वस्तुओं आदि में व्यापार या वाणिज्य का प्रतिषेध) के उपबंध का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु सात वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

14. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उक्त विशिष्ट प्रावधानों के समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अधिनियम की उद्देशिका में यथा उल्लिखित अनुसार देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम में कतिपय विशिष्ट समर्थकारी प्रावधान उपबंधित किये गये है, जो सामान्य विधि के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी को प्रदत्त नहीं है। उक्त समर्थकारी उपबंध वन्य जीवों के अवैध आखेट किये जाने, तथा वन्य जीवों की विशिष्ट पारिस्थितिकीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही विधायिका के द्वारा अधिनियम में समाहित किये हैं, ऐसे में वन्य जीव अपराध संबंधी वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना भी उक्त विशिष्ट समर्थकारी उपबंधों के आलोक में किया जाना आवश्यक होगा।

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परिवाद अनुसार वर्तमान प्रकरण को

Continued….13

पी.ओ.आर. क्रमांक–4938/07 दिनांक 24.05.2016 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है, उक्त के समर्थन में विवेचक साक्षी जी0के0 चंद (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वह सन् 2016 में वन मण्डल ग्वालियर में एसडीओ के पद पर पदस्थ था, उसी समय मुखबिर द्वारा डीएफओ ग्वालियर को सूचना प्राप्त हुई कि भिण्ड की ओर से ग्वालियर कुछ लोग वन्य जीव पेंगोलिन के खपटों की अवैध खरीद फरोख्त हेतु आ रहे हैं जिस संबंध में डीएफओ ग्वालियर द्वारा टीम गठित कर ग्वालियर भिण्ड रोड पर भेजी। दिनांक 24.05. 2016 को शाम के समय गठित टीम को एक मोटरसाईकिल पर तीन संदिग्ध व्यक्ति मिले तीनों से पूछताछ की गई तो वे लोग भागने लगे, जिन्हें टीम के सदस्यों द्वारा पकड़ा गया। उक्त लोगों ने अपना नाम रोहित, संजय एवं होरीलाल बताया था। तलाशी के दौरान होरीलाल के पास एक थैला पाया गया जिसमें लगभग तीन किलो पेंगोलिन के खपटे बरामद हुये थे। मौके पर टीम द्वारा नजरी नक्शा तैयार किया गया था तथा मौका का मुआयना किया था। नजरी नक्शा प्रपी 18 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. साक्षी जी0के0 चंद (अ.सा.3) ने यह भी व्यक्त किया है कि अभियुक्त संजय ने बताया था कि वह शिवपुरी में राजमल और रघुवीर की सहायता से शिकारी कुत्तों के साथ जंगल में वन्य जीवों का शिकार करता है।

17. साक्षी जी0के0 चंद (अ.सा.3) ने यह भी व्यक्त किया है कि अभियुक्त संजय की निशादेही पर अन्य अभियुक्त राजमल को भी ग्वालियर वन मण्डल के रेंजर आनंद श्रीवास्तव व उनके स्टाफ भंवर सिंह ने शिवपुरी से गिरफतार किया था। अभियुक्त राजमल के संबंध में उसने साक्षीगण भंवर सिंह, आनंद श्रीवास्तव एवं भारतभूषण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कराये थे जो प्रपी 27 लगायत प्रपी 29 हैं जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत उसने परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया

Continued….14

था।

18. प्रकरण की अन्य विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वह क्षेत्रीय स्ट्राइक फोर्स सागर में दिनांक 18 मई 2016 से पदस्थ है। उक्त वन अपराध प्रकरण कमांक 4938/07 दिनांक 24.5.2016 जो कि संगठित अपराध होने की श्रेणी का होने के कारण कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश पत्र कमांक 83/16 दिनांक 23.12. 2016 के परिपालन में उक्त प्रकरण की संपूर्ण केस डायरी उसे अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी।

19. उक्त साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने यह भी मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि प्रकरण में ही न्यायालय द्वारा गिरफतारी वारंटशुदा अभियुक्त करन सिंह की तलाश जारी थी जो उनकी टीम को दिनंक 21.12.2017 को उ0प्र0 के अछलदा में नहर बाजार के पास मिला था जिसे एसटीएफ के दल द्वारा अभिरक्षा में लिया गया था तथा तलाशी दौरान उसके पास पेंगोलिन के खपटे एक पॉलिथीन में बरामद हुये थे, जिसे इलेक्टॉनिक तोल कांटे पर वजन कराये जाने पर करीब 250 ग्राम खपटे पाये गये थे जिन्हें मौके पर ही जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया था। मौका स्थल का मौका पंचनामा उसके समक्ष तथा अन्य साक्षीगण के समक्ष उसके निर्देशन में लिपिबद्ध किया गया था जो प्रपी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर जप्तशुदा वन्य जीव के खपटों को मौके पर ही समक्ष साक्षीगण सीलबंद उसके निर्देशन में किया गया था। सीलबंद पंचनामा प्रपी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त करन सिंह की गिरफतारी की सूचना थाना पुलिस अछलदा के माध्यम से अभियुक्त के परिवारजनों को दी गई थी जिसका पंचनामा प्रपी 4 एवं प्रपी 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

20. उक्त साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने यह भी मुख्य परीक्षण में व्यक्त

Continued….15

किया है कि बाद जप्ती गिरफतारी के अभियुक्त करण सिंह को एसटीएफ के दल द्वारा वन चौकी बीलपुरा वन मण्डल ग्वालियर लाया गया था, जहां पर साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त करन सिंह से उसके द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत पूछताछ की गई थी जिसमें अभियुक्त करन सिंह के द्वारा बताया गया कि ''वह फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता है, साथ ही स्थानीय गांव से कछुए एवं वन्य प्राणी जीवों की खरीद फरोख्त का भी काम करता है, वह भिण्ड एवं मुरैना क्षेत्रों के लोगों से वन्य प्राणी पेंगोलिन के खपटे जिसका नाम स्थानीय भाषा में छल्ले के खरपटे कहते हैं, को खरीद कर उच्च दामों में बेचता था।

21. उक्त साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने यह भी मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि अभियुक्त करन सिंह के कथन उसके बताये अनुसार साक्षीगण की उपस्थिति में उसके निर्देशन में लिपिबद्ध कराये गये थे जिसमें उसके द्वारा कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं गया था जो प्रपी 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। कार्यवाही के दौरान उपस्थित साक्षीगण राहुल विश्वकर्मा, महिपाल सिंह, वीरसिंह जाट के कथन भी उनके बताये अनुसार उसके निर्देशन में अभियुक्त की उपस्थिति में लिपिबद्ध कराये गये थे जो क्रमशः प्रपी 7 लगायत प्रपी 10 हैं जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

22. उक्त साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने यह भी मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि प्रकरण में अभियुक्त करन सिंह से जप्त पेंगोलिन के खपटे उसके द्वारा वन्य प्राणी की प्रजाति परीक्षण हेतु संचालक वन्य जीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर भेजा गया था, उक्त संबंध में पत्र क्रमांक 1664/2017 दिनांक 23.12.2017 जांच पूर्ण होने पर उसने उसके खिलाफ पूरक परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया थ, उक्त संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसने रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.06.2018 को

Continued….16

प्रस्तुत किया था।

23. अभियोजन साक्षी महिपाल सिंह राजपूत (अ.सा.2) ने साक्षी श्रृद्धा पंद्रे के कथन का समर्थन किया है।

24. अभियोजन साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान बताया है कि वह दिनांक 21.12.2017 को वनरक्षक के पद पर टाईगर स्ट्राइक फोर्स सागर में पदस्थ था। उसी दौरान क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइकर फोर्स सागर के वन अपराध प्रकरण क0 4938/07 दिनांक 24.05.2016 में प्रभारी अधिकारी श्रद्धा पंद्रे के साथ ग्राम अछलदा जिला औरैया गया था जहां पर प्रकरण के फरार आरोपी करण सिंह पिता सुदामा लाल की तलाश की जा रही थी। उक्त दिनांक को आरोपी करण सिंह नहर बाजार चौराहा पर उन लोगों को मिला था जिसकी मौके पर तलाशी ली थी तलाशी के दौरान अभियुक्त करण सिंह के पास एक पॉलिथीन में पेंगोलिन के खपटे बरामद हुये थे जिन्हें टीम के पास उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तौला गया था जिनका वजन लगभग 250 ग्राम था जिस संबंध में मौके पर ही मौका पंचनामा प्रपी 2 उसके द्वारा अभियुक्त की मौजूदगी में समक्ष साक्षीगण तैयार किया गया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा डी से डी भाग पर आरोपी करण सिंह ने उसकी मौजूदगी में हस्ताक्षर किये थे।

25. अभियोजन साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.4) ने यह भी बताया कि घटना स्थल का नजरीय नक्शा आरोपी की मौजूदगी में तैयार किया गया था जो प्रपी 31 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भागों पर आरोपी करण सिंह ने उसकी मौजूदगी में हस्ताक्षर किये थे। मौके पर ही उसके द्वारा आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रपी 18 तैयार किया गया था। मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में उसने अपने कथन प्रभारी अधिकारी के समक्ष आरोपी की मौजूदगी में लिपिबद्ध कराये थे जो प्रपी 7 है।

Continued….17

फोटो शिनाख्ती पंचनामा प्रपी 11 लगायत प्रपी 13 आरोपी की मौजूदगी में प्रभारी अधिकारी द्वारा तैयार किये गये थे तथा पहचान पंचनामा प्रपी 14, प्रपी 15 एवं प्रपी 16 प्रभारी अधिकारी द्वारा आरोपी की मौजूदगी में तैयार किये गये थे।

26. अभियोजन साक्षी वीरन सिंह राजपूत (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.4) की साक्ष्य का सर्मथन करते हुये साक्षी राहुल विश्वकर्मा द्वारा की गई कार्यवाही प्रपी 2, प्रपी 30, प्रपी 3, प्रपी 31, प्रपी 4 की कार्यवाही का समर्थन किया है। अभियुक्त करन सिंह के समक्ष पूछताछ की गई थी जिसके बयान प्रपी 8 है। मौका साक्षी वीरसिंह जाट, एवं महिपाल सिंह राजपूत से भी प्रभारी अधिकारी द्वारा उसकी तथा करन सिंह की मौजूदगी में पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये गये थे जो क्रमशः प्रपी 9 व प्रपी 10 हैं।

27. अभियोजन साक्षी वीर सिंह जाट (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्षी राहुल विश्वकर्मा एवं वीरन सिंह राजपूत की साक्ष्य का समर्थन किया है तथा इस साक्षी द्वारा राहुल विश्वकर्मा द्वारा की गई कार्यवाही प्रपी 4 का समर्थन कर उस पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। आरोपी करन सिंह से प्रभारी अधिकारी सुश्री श्रृद्धा पंद्रे द्वारा उसकी मौजूदगी में पूछताछ की गई थी तथा आरोपी करन सिंह के बताये अनुसार उसके कथन अंतर्गत धारा 50 (8) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लेख किये गये थे जो प्रपी 6 है। उसके समक्ष मौका साक्षी राहुल विश्वकर्मा से प्रभारी अधिकारी द्वारा आरोपी करन सिंह के समक्ष पूछताछ की गई थी जिसके बयान प्रपी 7 हैं।

28. साक्षी जगदीश प्रसाद राठौर (अ.सा.7) ने यह बताया है कि आरोपी संजय से पूछताछ करने पर उसने बताया था कि एक आरोपी राजमल पिता पुतुआ निवासी–मनियर जिला शिवपुरी भी इसी प्रकरण में सम्मिलित है। संजय की गवाही के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी के साथ मनियर जिला शिवपुरी गया था।

Continued….18

जैसे ही उनकी टीम उसके घर पहुंची तो आरोपी राजमल घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। उन लोगों को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया किंतु उन लोगों ने उसको पकड़ लिया तथा उसके घर की तलाशी ली। घर के अंदर के एक अलमारी थी जिसके अंदर पेंगोलिन के खपटे लगभग 200 ग्राम पॉलीथिन के थैले पाये गये थे तथा 10 ग्राम लगभग वन प्राणी नेवले के बाल पाये गये थे। जिस संबंध में मौका पंचनामा प्रपी–39 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर आरोपी से नेवले के बाल करीब 10 ग्राम व पेंगोलिन के खपटे लगभग 200 जप्त किये थे तथा जप्तीपत्रक प्रपी–40 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तथा आरोपी राजमल को गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–41 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी उपरांत गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दिया गया था जिसके संबंध में गिरफ्तारी की सूचना प्रपी–42 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके बाद आरोपी को लेकर ग्वालियर लाये थे। उसने अपने कथन भी कार्यवाही के संबंध में उपवनमंडल अधिकारी के समक्ष लिखाये थे जो प्रपी–22 है जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर है।

29. अभियोजन साक्षी रामरूप सिंह परिहार (अ.सा.8) ने भी साक्षी जी0के0 चंद (अ.सा.3), जगदीश प्रसाद राठौर (अ.सा.7) की साक्ष्य का समर्थन किया है तथा प्रपी 32, प्रपी 33, प्रपी 23, 36, 37, 38, 41 पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं।

30. अभियोजन साक्षी ए0के0 श्रीवास्तव (अ.सा.9) द्वारा भी अभियोजन का समर्थन किया है तथा व्यक्त किया है कि मौके पर ही आरोपी राजमल से पेंगोलिन के खपटे लगभग 200 ग्राम एवं नेवले के बाल लगभग 10 ग्राम साक्षीगण भंवर सिंह एवं भारत भूषण के सामने उसकी उपस्थिति में दल के सदस्य जगदीश

Continued….19

प्रसाद राठौर द्वारा जप्त किये गये थे, जप्ती पत्रक प्रपी 40 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी राजमल द्वारा भी प्रपी 40 पर उसके सामने अंगूठा निशानी की गई थी। मौके पर ही दल के सदस्य भारत भूषण द्वारा मौके पर मौका स्थल का नजरीय नक्शा प्रपी 43 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त कार्यवाही के उपरांत आरोपी एवं जप्तशुदा माल के लेकर ग्वालियर वन मंडल कार्यालय लाया गया था जहां पर आरोपी राजमल से पूछताछ कर उसके कथन अंतर्गत धारा 50 (8) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम उसके बताये अनुसार एसडीओ जी0के0 चंद की उपस्थिति में लेख किये गये थे, जो प्रपी 44 हैं। आरेापी के कथन के समय वह भी उपस्थित था, तथा आरोपी ने उसके समक्ष अपने कथन प्रपी 44 पर अपनी अंगूठा निशानी अंकित की थी। उसके समक्ष हुई कार्यवाही के संबंध में एसडीओ जी0के0 चंद के समक्ष उसके कथन भी लेखबद्ध किये गये थे जो प्रपी 28 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

31. अभियोजन की ओर से तर्क के दौरान व्यक्त किया गया है अभियोजन ने साक्षियों की साक्ष्य एवं दस्तावेजों के माध्यम से अपना प्रकरण प्रमाणित किया है तथा आरोपीगण को दोषसिद्ध करते हुये कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

32. अभियुक्तगण राजमल एवं करन की ओर से लिखित तर्क में यह व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण राजमल एवं करन के विरूद्ध असत्य आधारों पर झूठी कार्यवाही करते हुये रिपोर्ट लेख कर फंसाया गया है। अभियोजन के अनुसार जितने भी साक्षी न्यायालय के समक्ष पेश किये गये हैं वह पूर्णतः निराधार हैं। अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में पूर्ण भरोसे की साक्ष्य नहीं दी गई है। सभी साक्षियों की साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण करने से पता चलता है कि उनकी साक्ष्य में अत्यधिक विरोधाभाष है तथा सभी साक्षीगण शासकीय कर्मचारी होने से

Continued….20

अभियोजन की बात को रखने का प्रयास किया गया है। अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गई है जो जानबूझकर नहीं कराई गई है क्योंकि वास्तव में अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित ही नहीं किया गया है। अभियुक्तगण शिवपुरी जिले के निवासी है जो वर्ष 2018 से प्रकरण का सामना करते आ रहे है तब से वर्तमान तक उन्हें अत्यधिक दण्ड भी मिल चुका है जो अपराध उन्होंने किया भी नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

33. उपरोक्त तर्कों का परिशीलन किया गया, तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया है।

34. अभियोजन साक्षी विवेचक सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रकरण की विवेचना प्राप्त होने के पूर्व अन्य विवेचना अधिकारी द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही थी। यह बताया कि अभियुक्त करण की गिरफतारी ग्राम अछलदा में की गई थी।

35. साक्षी महिपाल सिंह राजपूत (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त करन को घेराबंदी करके पकड़ा था तथा मौके पर समस्त कार्यवाही करने में उनके दल को कितना समय लगा था उसकी निश्चित समयावधि नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त की तलाशी ली जा रही थी तथा उससे मौके पर पूछताछ की जा रही थी तब वे लोग साथ में थे तथा प्रभारी

अधिकारी श्रृद्धा पंद्रे उन लोगों की वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनके निर्देशों में वे कार्य करते हैं, उन्हीं के आदेश से उसने जप्ती, गिरफतारी पंचनामा पर पढ़कर हस्ताक्षर किये थे।

36. साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह बताया कि सबसे पहले उसने मौका पंचनामा बनाया था। यह स्वीकार

Continued….21

किया कि उसके द्वारा की गई कार्यवाही में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया तथा किसी भी दस्तावेज में समय का उल्लेख नहीं है तथा यह भी बताय है कि घटना स्थल से कई लोग निकले थे जिनकी गिनती वह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया कि वे लोग तराजू साथ नहीं ले गये थे।

37. साक्षी वीरन सिंह राजपूत (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में स्वीकार किया कि प्रपी 2, 3, 4, 31 पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये तथा उक्त दस्तावेजों पर उसने वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन के द्वारा अभियुक्त करन से घटना स्थल सार्वजनिक स्थान नहर बाजार चौराहा पर तलाशी ली थी और अभियुक्त से एक पॉलीथिन, खपटै बरामद किये थे तथा उक्त समय ही नजरी नक्शा तैयार किया गया था। किन्तु अभियोजन ने उक्त संबंध में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के कथन नहीं कराये हैं, न ही किसी स्वतंत्र साक्षी को नक्शा मौका, जप्ती की कार्यवाही का साक्षी बनाया है और न ही अभियोजन ने अभियुक्त की तलाशी के पूर्व अपनी तलाशी अभियुक्त को दी हो, इस संबंध में कोई कार्यवाही की है। अभियोजन के द्वारा परीक्षित साक्षियों के कथनो में विरोधाभास है, जिससे अभियुक्त करन के संबंध में की गई कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

38. साक्षी रामरूप सिंह (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया कि दिनांक 27.05.2016 को वनमंडल अधिकारी ग्वालियर द्वारा एक टीम तैयार की गई थी जो कि मनियर जिला शिवपुरी में अभियुक्त राजमल की तलाशी के लिये तैयार की गई थी, टीम के साथ वह भी उक्त दिनांक को गया था, जहां पर अभियुक्त राजमल अपने घर के बाहर खड़ा था जो टीम को देखकर भागने लगा था जिसे उसने व स्टाफ ने पकड़ा था तथा उसके घर की तलाशी लेने पर उसके घर की अलमारी में दो सौ ग्राम पेंगोलिन के खपटे एवं नेवले के बाल करीब 10 ग्राम पाये गये थे जिस संबंध में मौका पर मौका पंचनामा एवं जप्ती

Continued….22

कार्यवाही की गई थी तथा गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रपी 41 तैयार किया गया था। जिसकी पुष्टि साक्षी जी0के0 चंद (अ.सा.3) के कथनों से भी होती है।

39. उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त करन के विरूद्ध अपना प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी करन को अभिरक्षा में लिये जाने के पूर्व के वर्षों में, अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में, ग्वालियर वनपरिक्षेत्र में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्त प्राय वन्यप्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) एवं पेंगोलिन के शल्क का अवैध रूप से शिकार एवं अवैध व्यापार किया। अतः अभियुक्त करन कंजर को धारा 9, 39, 44, 48, 48(ए),49, 49(बी) एवं 52 के उल्लंघन में अपराध कारित कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधन 2003) की धारा 51 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

40. अभियोजन द्वारा अभियुक्त राजमल के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त आरोपी राजमल ने उसे अभिरक्षा में लिये जाने के पूर्व के वर्षों में, अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में, ग्वालियर वनपरिक्षेत्र में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्त प्राय वन्यप्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) एवं पेंगोलिन के शल्क का अवैध रूप से शिकार एवं अवैध व्यापार किया, जिससे अभियुक्त राजमल सहरिया को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम (संशोधन 2003) 1972 की धारा 9, 39, 44, 48, 48(ए),49, 49(बी) एवं 52 के उल्लंघन में अपराध कारित कर वन्य प्राणी संरक्षण

Continued….23

अधिनियम 1972 (संशोधन 2003) की धारा 51 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष ठहराया जाता है।

41. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने के बिन्दु पर बचावपक्ष के अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया। प्रकरण की परिस्थिति,अपराध की गंभीरता के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

42. अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर

पुनश्चः—

43. दण्ड के प्रश्न पर दोषी एवं उसके अधिवक्ता एवं अभियोजन को सुना गया। उन्होने निवेदन किया गया है कि अभियुक्त आरोपित दंड के लिए उसके द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई (अंडरगोन) अवधि का कारावास देते हुये रिहा किया जावे। अभियुक्त का प्रथम अपराध है।

44. अभियोजन की ओर से यह तर्क किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। अतः अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया।

45. इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि जहां न्यूनतम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किये जाने का प्रावधान विधि में उपबंधित हो वहां अभियुक्त को दंडित किये जाने में उदारता बरतना उचित नहीं।

46. अतः अपराध के स्वरूप, अभियुक्त की निरोध की अवधि एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त **राजमल सहरिया** को वन्य प्राणी संरक्षण (संशोधन 2003) अधिनियम, 1972 की धारा 49बी के उल्लंघन

Continued….24

में धारा 51(1क) के परंतुक के आरोप में अभियुक्त राजमल सहरिया को **तीन वर्ष के सश्रम कारावास** एवं **10,000/–** (अंकन दस हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदंड की राशि के व्यतिक्रम में अभियुक्त को दो माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाये।

47. प्रकरण में जप्त मुद्देमाल का निराकरण फरार आरोपीगण के निर्णय के समय किया जावेगा।

48. उक्त अभियुक्त दिनांक–27.05.2016 से दिनांक–28.07.2016 तक कुल 02 माह, 02 दिन न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई उक्त अवधि को उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि में मुजरा किया जावे। तत्संबंध में अभियुक्त का धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तथा सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

।।श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे।।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सागर म0प्र0

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

।।श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे।।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सागर म0प्र0

KIRAN TUMRACHI DHURWE
Digitally signed by KIRAN TUMRACHI DHURWE
Date: 2023.09.21 16:08:18 +05'30'

Continued….